

(11)

(6)

नियमावली

1. संस्था का नाम - विभा वेलफेर सोसाइटी
 2. संस्था का पता - ४/४८, जानपर बुच बासरा (च०५०)
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
 4. संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार होगे -
 5. संस्था की सदस्यता व वह सदस्यों के वर्ग :-

1. तरकाक सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001, रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का तरकाक सदस्य बनाया जायेगा ।

2. आजीवन सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501, रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3. साधारण सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 251, रूपया देगा वह सज्जन इत संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा ।

4. विशिष्ट सदस्य - ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन मन धन तं सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे तरकार द्वारा समानित एवं उपायि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुश्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों के लिए उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा । परन्तु प्रतिवन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

5. सदस्यपत्र की संवादिका

मत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।

बुद्धिर्वता शुल्क सदस्य से अदा न करने पर ।

बुद्धिर्वता की लगातार तीन दृढ़कों में दिना कि सी कारण बताये अनुपरिशत होने पर ।

दृढ़क लिखी सदस्य के लिज्ह 2/3 दहुमत से अधिक भतों से अदिशास कां प्रस्ताव पास होने पर ।

5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उत्ते आम सभा के हारा पास होने पर ।

6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

6. संस्था के बंद - 1. साधारण सभा

2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

7. साधारण सभा - मठन - साधारण सभा का मठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा दृढ़क - साधारण सभा की सामान्य दृढ़क वर्ष में एक तथा विशेष दृढ़क आवश्यकतानुसार दुलाई जायेगी ।

संघना अवधि - साधारण सभा की सामान्य दृढ़क की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष दृढ़क की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

सत्य प्रतिलिपि गणपति - गणपति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 दहुमत सदस्यों की उपरिणीति का क्रम होगा ।

सौमाइटोड नं. ३५३८८, १८६० के अन्दरौं

(12)

(7)

(2)

प्रीति वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा
जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

प्रबन्धकारिणी समिति -

मठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक / सचिव एक उपसचिव एक, कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

दैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य दैठक वर्ष में एक तथा विशेष दैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना घोषित - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य दैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष दैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।

वर्षपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति ने यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इसे ऐरेंट्रूत स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य -

संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर सभव प्रयास करना।

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

4. संस्था के विकास हेतु कन्दीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/ग्रामालयों एवं अन्य संस्थानों/प्रतिष्ठानों/निकायों/नागरिकों आदि से दान/अनुदान/चंदा/ऋण एवं दितीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

5. कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य -

1. अध्यक्ष - संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति, साधारण सभा की समस्त दैठकों की अध्यक्षता करना।

2. उपाध्यक्ष - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना उपस्थिति में कार्यों में सहियोग देना।

3. प्रबन्धक / सचिव -

सौनाइटीज रिटेल डिजिनियम 1860 के बन्दरांड रंचीकूट है।

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग दुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।

सत्य प्रतिलिपि संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार-प्रसार करना।

४. संस्था की ओर सं समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
५. संस्था के अंतर्गत संचालित संस्थानों/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्तति, एवं पदच्युत करना एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तथ करना व उसका भुगतान करना उनकी सेवा के नियम बनाकर आदि कार्यवाही कर अनुमोदन हेतु अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना ।
६. संस्था के समस्त दस्तावेजों, क्रृत अनुदान पत्रों चैकों ड्राफ्टों बंधक विलेखों विल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।
७. संस्था के विकास हेतु अन्य व सभी अवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास ने सहायक हो करना ।

४. उपषब्दक / उपसंचिव - प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे कार्यों को करना उपस्थिति में कार्यों में सहियोग देना ।

५. कौशलाद्यक्ष -

१. संस्था के ऊंचे व्यवहारण को रखना ।
२. संस्था के प्रबन्धक / सचिव हारा सौंपे गये सभी कार्यों को करना ।

११. संस्था के नेयकों विनियमों वं चंहारोयन परिवर्तन प्रक्रिया - संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्तन साधारण सभा के 2/3 दहुनत ते करना ।

१२. संस्था का कौशल एवं लेखा व्यवस्था - संस्था का कौशल किसी राष्ट्रीय कृत देक्क अथवा ढाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव एवं कौशलाद्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

१३. संस्था का लेखा परीक्षण (बॉर्डिट) - संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य अधिकारी द्वारा एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

१४. संस्था द्वारा एवं उसके व्यवस्था के नियमारण की उत्तरस्वारित्व - संस्था के लेखा अथवा उसके व्यवस्था के नियमारण की उत्तरस्वारित्व द्वारा किया जायेगा ।

१५. संस्था द्वारा एवं उसके व्यवस्था के नियमारण की उत्तरस्वारित्व - संस्था द्वारा लिये गये क्रृति की अदायगी के लिये लामूहिक व व्यवितरण तौर पर प्रबन्धकारिणी के सभी सदस्यों पर होगा यह दायित्व सदस्यों के पहले द्वारा देना रहेगा जब तक कि क्रृति दाता के पूर्ण क्रृति की अदायगी न हो जाये ताहं भले ही संतर्भ सदस्यों की ही दयों न हो गया हो संस्था का कोइं भी सदस्य वा पदाधिकारी अपनी निजी अचल संपत्ति का बंधक / साम्यक बंधक कर सकेंगे ।

१६. संस्था के अभिलेख - १- सदस्यता रजिस्टर २- कार्यवाही रजिस्टर ३- एजेंण्डा रजिस्टर ४- स्टाक रजिस्टर ५- कैश बुक आदि ।

१७. संस्था के विघटन - यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के नियमारण की कार्यवाही सोसाइटी अधिकारी की धारा १३ व १४ के अंतर्गत की जायेगी ।

सौमाहिती नं. ८८ द्वितीय १८६० के अन्तर्याम

दिनांक - १४/१०/३

सत्यप्रतिलिपि रामेश्वर

२०१२
१०/१०/३
१४

१४

PRINCIPAL
SECRETARY Dr. Tandon Nursing College
Dr. Tandon Nursing College Agra